**बिहार सरकार**

**ग्रामीण विकास विभाग**

पत्रांक:- 224392 पटना, दिनांक:- 18/03/15

ग्रा0वि0-7(आं)24/2013

प्रेषक,

**प्रदीप कुमार,**
सचिव ।

सेवा में,

**सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
**सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
बिहार ।

**विषय:-** मनरेगा कर्मियों एवं DSC Holder का MIS पर आधार / Enrollment Id Seeding के संबंध में ।

**प्रसंग:-** **विभागीय पत्रांक-222349 दिनांक- 27.02.2015**

महाशय,

कृपया उपरोक्त प्रासंगिक पत्र का स्मरण किया जाय । आप अवगत हैं कि **e-fms** को पूर्णत: लागू करने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्प है । उक्त के आलोक में उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनरेगा कर्मियों एवं जॉब कार्ड धारियों के आधार / Enrollment Id Seeding का कार्य शत-प्रतिशत 31 मार्च, 2015 तक पूर्ण करने का स्पष्ट निर्देश प्राप्त है । समीक्षोपरान्त ज्ञात है कि इस दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है ।

निदेश है कि 31 मार्च, 2015 तक सभी मनरेगा कर्मियों (विशेष रूप से DSC जिनका बना हुआ है) एवं जॉब कार्ड धारियों के आधार Seeding का कार्य शत-प्रतिशत अचूक रूप से पूर्ण कराकर विभाग को संसूचित किया जाय । DSC जिनका बना हुआ है उनका आधार / Enrollment Id Seeding कार्य पूर्ण नहीं होने पर FTO जेनेरेट करने में व्यवधान उत्पन्न होगा ।

अनुलग्नक - यथोक्त

विश्वासभाजन

प्रदीप कुमार 18.3.15

**(प्रदीप कुमार)**
सचिव

2015

**बिहार सरकार**

**ग्रामीण विकास विभाग**

पत्रांक- 222394 पटना, दिनांक- 27/02/15

ग्रा0वि0-5/आधार (विविध)-14-02/2014

प्रेषक,

**कनक बाला,**
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

**सभी उप विकास आयुक्त**
बिहार ।

**विषय :** **मनरेगा कर्मियों का शत-प्रतिशत आधार Seeding करने के संबंध में ।**

**महाशय,**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-25.02.2015 को विभाग द्वारा आयोजित eFMS के प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य भर से आये प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि जिलों में आधार पंजीकरण के समय मनरेगा जॉब कार्डधारियों द्वारा पहचान के दस्तावेज के रूप में मनरेगा जॉब कार्ड को मान्यता नहीं दी जा रही है ।

आप अवगत है कि UIDAI द्वारा आधार कार्ड के निर्माण में पहचान के लिए दस्तावेजों की सूची में मनरेगा जॉब कार्ड वैध प्रमाण पत्र के रूप में मान्य है । इस संबंध में पूर्व में विभाग द्वारा अखबारों में कई बार विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है । इसके अलावा UIDAI के वेबसाईट (http://uidai.gov.in/) पर भी पहचान और पता के प्रमाण हेतु वैध दस्तावेजों की सूची दी गई है । इसके बावजूद यह सूचना प्राप्त हो रही है कि मनरेगा जॉब कार्ड को आधार पंजीकरण हेतु वैध दस्तावेज के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है, जिस पर रोक लगाना आवश्यक है ।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनरेगा कर्मियों एवं जॉब कार्डधारियों के आधार Seeding का कार्य शत-प्रतिशत 31 मार्च तक पूर्ण करने का स्पष्ट निर्देश प्राप्त है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सभी मनरेगा कर्मियों का शत-प्रतिशत आधार हेतु पंजीकरण करवा कर उनको बैंक खातों से लिंक करवाकर आधार Seeding कराना सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

**(कनक बाला)**
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक- 222394 दिनांक- 27/02/15

प्रतिलिपिः- प्रभारी पदाधिकारी, eFMS, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक- 222394 दिनांक- 27/02/15

प्रतिलिपिः- श्री पी0 के0 उपाध्याय, सहायक महानिदेशक, UIDAI, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची/ श्री राजेश कुमार सिंह, सहायक महानिदेशक, UIDAI, कैम्प कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक- 222394 दिनांक- 27/02/15

प्रतिलिपिः- सभी पंजीयक एजेंसियों (SR & NSR) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी